कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
प0स0–स्था–1–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण/2018–19/5115/वाणिज्य कर,
लखनऊः: दिनांकः: 15 फरवरी, 2019

–::आदेश::–

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान–4, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में दिनांक–18.02.2019 से दिनांक–09.03.2019 तक नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को आधारभूत/व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग लेने हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया है ।

क्रम संख्या	नव पदोन्नत अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	राम नरेश नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर सहारनपुर
2	जगदीश प्रसाद वर्मा नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर गोरखपुर
3	चन्द्र प्रकाश नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर सीतापुर
4	रमेश चन्द्र कनौजिया नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर प्रयागराज
5	मक्खन लाल नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर गोरखपुर
6	श्रीमती निलोफर नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर गोरखपुर
7	श्री वीरेन्द्र बहादुर नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर लखनऊ
8	जय प्रकाश राय नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर वाराणसी ए
9	श्रीमती ललिता दीपक वत्रा नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर कानपरु ए
10	राजेश कुमार सक्सेना नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर इटावा
11	गोपाल कृष्ण सारस्वत नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्यकर आगरा एं

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय दिनांक 18.02.2019 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारियों की अनुपस्थिति की दशा में कमिश्नर महोदया को अवगत कराया जायेगा।

समस्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें।

उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

15/02/19

(राजेश प्रताप सिह चन्देल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

प्रशिक्षु अधिकारी से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं (मेस का दिनांक–18.02.2019 से दिनांक–09.03.2019 तक का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा । प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक /शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान- पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हास्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्व है । मेस में अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा ।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन प्रशिक्षुओं के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध साम्रग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा । इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- आधारभूत / व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ प्रशिक्षण व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आयें तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत. प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बनध में मुख्यालय के आदेश सं0 4905 दि0 15.03.2018 के प्रस्तर ग के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) ,वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4. सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश / अनुभाग अधिकारी (प्रभारी) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में तैनात उक्त सूची में अंकित अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक दशा में अपने स्तर से निर्देश जारी करने तथा पूर्व में **प्रोन्नत ऐसे वाणिज्य कर अधिकारी जिनके द्वारा अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नही किया गया है एवं जिन अधिकारियो का सेवानिवृत्त निकट है उन्हें छोडते हुए शेष नव प्रोन्नत अधिकारियो को भी उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से नामित करते हुए तत्काल प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें।**

5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईठ पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

6. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।

7. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/ EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

8. संबन्धित नव पदोन्नत वाणिज्य अधिकारियों को नाम से।

15/04/19

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।